



म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्या.
(म.प्र.शासन का उपक्रम)
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
Email : mpagrohbpl@gmail.com, Phone No (0755)- 2551968, 2551756
CIN NO-UO1119mp1969GC001055

क्र./मुख्या./उद्यान/फल-पौध/2025-26/2842

दिनांक - 28/10/2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त)

विषय-वर्ष 2024-25 के लिए नर्सरी फल पौध (कलमी एवं बीजू) की प्रसारित की गई
कय-विकय दरों की वैधता अवधि बढ़ाने बाबत।
संदर्भ-निगम का पत्र क्रं 2186 दिनांक 04.09.2025

निगम द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से वर्ष 2024-25 के लिए नर्सरी फल पौध
(कलमी एवं बीजू) के प्रदाय हेतु प्रसारित दरों की वैधता अवधि में दिनांक 31.10.2025 अथवा
नवीन दरों के निर्धारण तक के लिए वृद्धि की गई थी।

निगम व्यवसाय को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व प्रसारित दरों की वैधता अवधि
निम्नानुसार बढ़ायी जाती हैं :-

क्रं.	सामग्री का विवरण	निगम दर प्रसारण पत्र क्रं./दिनांक	वैधता अवधि में प्रस्तावित वृद्धि
1.	नर्सरी फल पौध (कलमी एवं बीजू)	1. 3103/02.12.2024 2. 3288/11.12.2024 3. 3355/18.12.2024 4. 3419/26.12.2024	दिनांक 31.12.2025 तक अथवा नवीन दरों के निर्धारण तक वैध

उपरोक्तानुसार सामग्रियों की दरें दिनांक 31.12.2025 तक के लिये वृद्धि की
जाती है, सामग्री प्रदाय से संबंधित सभी शर्तें पूर्वानुसार यथावत रहेंगी।

प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित

2843
28/10/2025

प्रबंधक (उद्यान)

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. प्रमुख सचिव, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. संचालक, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, भोपाल।
4. मुख्य वन संरक्षक/अनुसंधान एवं विस्तार, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. उप संचालक/सहायक संचालक उद्यान, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण (समस्त)।
6. उप संचालक कृषि, किसान कल्याण तथा कृषि विकास (समस्त)।
7. क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. मेसर्स.....की ओर सूचनार्थ।
9. mpfstshelpdesk@mp.gov.in की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रबंधक (उद्यान)